न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 16 /2020 (Bank Case)

"एस.आर.जी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर में स्थित व कार्यरत हैं।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री राम लटुर पुत्र श्री भैरू लाल (ऋणी)
   पता– खसरा संख्या 199, ग्राम गरमोडी, ग्राम पंचायत बालुहेडा, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा, राजस्थान–325602
2. श्रीमती भुवनेश कुमारी पत्नी श्री राम लटुर (सहऋणी)
   पता– खसरा संख्या 199, ग्राम गरमोडी, ग्राम पंचायत बालुहेडा, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा, राजस्थान–325602
3. श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश चंद्र (जमानती)
   पता– वार्ड नं0 54, खैतुणी पोल जिला कोटा, राजस्थान–324006
4. श्री चतुर्भुज सुमन पुत्र श्री राम देव (जमानती)
   पता– ग्राम गरमोडी, ग्राम पंचायत बालुहेडा, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा, राजस्थान– 325602

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियां का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित–श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 19.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि "एस.आर.जी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर में स्थित व कार्यरत हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.03.2017 को रूपये 2,50,000/–(अक्षरेः रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री राम लातुर पुत्र श्री भैरू लाल जाति धाकड की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 6986, खसरा संख्या 199, मिसल संख्या 10 दिनांक 05.12.2016, ग्राम गरमोडी, ग्राम पंचायत बालुहेडा, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा, राजस्थान पर स्थित हैं जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 825 वर्ग फीट हैं एवं चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व में श्री देव करण का मकान, पश्चिम में रोड, उत्तर में श्री राजेन्द्र का मकान, दक्षिण में रोड है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 21.05.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे रूपये 2,91,713.42/– (अक्षरे रूपये दो लाख इकरानवें हजार सात सौ तैरह एवं बियालीस पैसें मात्र) बकाया रकम दिनांक 05.09.2018 तक शेष देय हैं व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

को दिनांक 11.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 11.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 11.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री राम लातुर पुत्र श्री भैरू लाल जाति धाकड की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 6986, खसरा संख्या 199, मिसल संख्या 10 दिनांक 05.12.2016, ग्राम गरमोडी, ग्राम पंचायत बालुहेडा, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा, राजस्थान पर स्थित हैं जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 825 वर्ग फीट हैं एवं चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व में श्री देव करण का मकान, पश्चिम में रोड, उत्तर में श्री राजेन्द्र का मकान, दक्षिण में रोड है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner